(72)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 55–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 1–12–2015 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 86/अपील/2013–14.

1– जगलाल पिता गूंगा
2– किसनलाल पिता गूंगा
3– श्यामराव पिता सोमा
4– सुखकू पिता चेतराम
5– देवचंद पिता चेतराम
6– उमराव पिता सोमा
निवासीगण ग्राम कोलगांव
तहसील भैंसदेही जिला बैतूल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– नानूराम पिता जियालाल
2– विनोद पिता जियालाल
3– चतरू पिता जियालाल
4– लड्डू पिता फकीरा नाबालिक
बली द्वारा जियालाल
5– गुड्डू पिता फकीरा नाबालिक
बली द्वारा जियालाल
6– प्राची पिता फकीरा नाबालिक
बली द्वारा जियालाल
7– डल्लू पिता इंदल
8– कल्लू पिता इंदल
9– रमेश पिता इंदल
निवासीगण ग्राम कोलगांव
तहसील भैंसदेही जिला बैतूल .....आवेदकगण

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर.पी. यादव, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 से 6

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/11/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, भैंसदेही के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नम्बर 9/2 रकबा 1.026 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 22/2 रकबा 4.967 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 152 रकबा 0.036 हेक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 153/1 रकबा 0.065 हेक्टेयर पर पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर मेसोबाई के हिस्से की भूमि पर उनका नाम दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–6/2008–09 दर्ज कर दिनांक 4–8–2010 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, भैंसदेही के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–1–2014 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए अनावेदकगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 1–12–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 27–9–2017 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदक के अभिभाषक सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनकी ओर से नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक कमांक 1 लगायत 6 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों तथा अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 10–2–2009 अनावेदकगण के पक्ष में मानने में भूल की गई है ।

(2) मेसोबाई द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया गया है और कूटरचित वसीयतनामा के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार न्यायालय के जिस व्यवहार वाद के आधार पर आदेश पारित किया गया है, उक्त व्यवहार वाद, दावा प्रमाणित नहीं होने से निरस्त हो चुका है ।

(4) अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष कथित वसीयतनामा प्रमाणित नहीं किया गया था, इसलिए उनका आवेदन पत्र निरस्त किया था, परन्तु तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर, अनावेदकगण के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 6 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 1 लगायत 6 के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है ।

(2) व्यवहार वाद में मेसोबाई द्वारा लिखित जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अनावेदक कमांक 1 लगायत 6 के पक्ष में वसीयतनामा किया जाना स्वीकार किया गया है ।

(3) साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 (1) के अन्तर्गत यदि दस्तावेज निष्पादनकर्ता स्वीकार कर लेता है, तब उसे अन्य किसी साक्ष्य से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(4) तहसील न्यायालय में वसीयत लेखक द्वारा वसीयत लिखना स्वीकार किया गया है और आवेदकगण द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा के खण्डन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

5/ अनावेदक कमांक 7 लगायत 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा अंनावेदकगण के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा को प्रमाणित माना है और आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी के वारिस मान्य नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय के समक्ष वसीयतनामा की पुष्टि अभिभाषक पाटनकार द्वारा साक्ष्य में की गई है । ऐसी स्थिति

में तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, इसलिए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, अतः उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–12–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर